

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर 2005—भाद्र 10, शक 1927

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नलिखित दरें स्थापित की जाय.
2. ये संशोधित दरें तारीख 1-9-2005 से लागू होगी.

अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है :-	
	(क) काला रंग	रु. 750 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रु. 400 प्रति घनमीटर
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रु. 200 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	रु. 75 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रु. 75 प्रति घनमीटर
6.	मुरुम	रु. 15 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर—	
	(क) बोल्टर	रु. 30 प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	रु. 40 प्रति घनमीटर
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रु. 40 प्रति घनमीटर
8.	मिट्टी-ईट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रु. 15 प्रति घनमीटर
9.	अन्य गौण खनिज	रु. 30 प्रति घनमीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. त्यागी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 27-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2005

NOTIFICATION

No. 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996 namely,

AMENDMENT

In the said Rules,

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.
2. It shall come in to force from the date of 1-9-2005.

SCHEDULE-III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	Rs. 750/- per cu.mt.
	(b) Other colour	Rs. 400/- per cu. mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 200/- per cu. mt.
3.	Marble stone for other purpose	Rs. 75/- per cu. mt.
4.	Flagstone Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 75/- per cu. mt.
6.	Murum	Rs. 15/- per cu. mt.
7.	Stone :—	
	(a) Boulder	Rs. 30/- per cu. mt.
	(b) Gitti, roadmetal	Rs. 40/- per cu. mt.
	(c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	Rs. 40/- per cu. mt. (except lime stone)
8.	Soil-For making bricks and tiles	Rs. 15/- per cu. mt.
9.	Other minor minerals	Rs. 30/- per cu. mt.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Deputy Secretary.